न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—348 / 2016 / 225 (2016 / 00348)

1. गोपाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री बृजमोहन शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी हाथीभाटा, अजमेर हाल नि0 धोबीघाट, अम्बाबाडी तोपदड़ा, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती लाडकंवर पत्नी स्व0 छीतरसिंह पुत्रवधु गंगासिंह,
2. घीसूसिंह पुत्र स्व0 छीतरसिंह पौत्र स्व0 गंगासिंह,
3. भवानसिंह पुत्र स्व0 छीतरसिंह पौत्र स्व0 गंगासिंह,
4. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 गंगासिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोडा, तह0 व जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक जिलाधीश (मुख्या0), अजमेर दिनांक 6.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 17 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री राजेन्द्रसिंह रावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5 व 6 .

निर्णय

दिनांकः— 31.12.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक जिलाधीश (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 6.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.7.2016 की पेशी नियत थी । किन्तु उक्त पेशी से पूर्व ही अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार, भूडोल में रखकर प्रार्थना पत्र धारा 212 को अदम पालना में खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने

इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट का वाद घोषणा का है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हक व अधिकार बाबत् अंकन कर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया था साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 पेश कर अनुतोष चाहा था कि वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व बेचान नहीं करे किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को बिना सुने व अपीलांट की बिना जानकारी के अदम पालना में खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली नियत पेशी से पूर्व अपीलांट को बिना सूचना दिये लोक अदालत में रखकर निर्णित करने में भारी भूल की है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों का अवलोकन किये बिना प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है तथा साथ ही धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पेश कर वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अपीलांट ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी क्रय करने का कथन अंकित किया है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है बल्कि रेस्पो0 जरिये विरासत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है । अपीलांट को विक्रय पत्र के आधार पर क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह तो मूल वाद में बाद साक्ष्य तय किये जावेगें किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने उक्त सिद्धांत को मध्य नजर रखकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर